



सुरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

- **पब्लिक वॉचडॉग:** ग्राम सभा को अपने गाँव की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत की नगिरानी और नषिध करने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
- **पेसा से संबंधित मुद्दे:**
  - **आंशिक कार्यान्वयन:** राज्य सरकारों को इस राष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपने अनुसूचित क्षेत्रों के लिये राज्य कानूनों को अधिनियमित करना चाहिये।
    - इसके परिणामस्वरूप पेसा आंशिक रूप से कार्यान्वित हुआ है।
    - आंशिक कार्यान्वयन ने आदिवासी क्षेत्रों, जैसे- झारखंड में स्वशासन को विकृत कर दिया है।
  - **प्रशासनिक बाधाएँ:** कई विशेषज्ञों ने दावा किया है कि पेसा स्पष्टता की कमी, कानूनी दुर्बलता, नौकरशाही उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, सत्ता के पदानुक्रम में परविरतन के प्रतिरोध आदिके कारण सफल नहीं हुआ।
  - **वास्तविकता के स्थान पर कागज़ी अनुसरण:** राज्य भर में किये गए सोशल ऑडिट में यह भी बताया गया है कि वास्तव में विभिन्न विकास योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा केवल कागज़ पर अनुमोदित किया जा रहा था, वास्तव में चर्चा और नर्णय लेने के लिये कोई बैठक नहीं हुई थी।

## भारत की जनजातीय नीति:

- भारत में अधिकांश जनजातियों को सामूहिक रूप से अनुच्छेद 342 के तहत 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारतीय संविधान का **भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र** में नहित **अनुच्छेद 244** (अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन) द्वारा इन्हें आत्मनर्णय के अधिकार (Right to Self-determination) की गारंटी दी गई है।
  - संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नर्णय तथा छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किये गए हैं।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में वस्तितार) अधिनियम 1996 या पेसा अधिनियम।
- जनजातीय पंचशील नीति।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन में रहने वाले समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों के अधिकारों से संबंधित है।

## आगे की राह

- यदि पेसा अधिनियम को अक्षरशः लागू किया जाता है, तो यह आदिवासी क्षेत्र में मरणासन्न स्वशासन प्रणाली को फरि से जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।
- यह पारंपरिक शासन प्रणाली में खामियों को दूर करने और इसे अधिकि लागि-समावेशी एवं लोकतांत्रिक बनाने का अवसर भी देगा।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस